न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 595 सन 2018

अनवान :–

1. सोहनलाल पुत्र मलुराम जाति कुम्हार निवासी चक जालु तहसील डबबाली ।

वादी

बनाम

1. शंकरलाल 2 रामेश्वरलाल 3 रामचन्द्र 4 रामस्वरूप 5 सत्यनारायण पि0 मंगतुराम जाति कुम्हार निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 28/12/2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 604/548 के खसरा न0 100 की कुल 6.6140हैक भूमि स्थित है जिसके शंकरलाल रामेश्वरलाल पि0 मंगतुराम व सोहनलाल पुत्र मलुराम बहिब के खातेदार काश्तकार है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने आपसी सहमति से काश्त की सुविधा का ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से सयुक्त खाता में दर्ज है वादी का कथन है क वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा कर लिया है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है तथा कोई भी मुश्तरका खातेदार अपने हक हिस्सा के अनुसार आपसी सहमति से विभाजन करवा पाने के अधिकारी है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि

वादी सोहनलाल के पास रोही मौजा कानसर के खसरा न0 100/1 की 3.307हैक भूमि रहेगी, प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल के पास रोही मौजा कानसर के खसरा न0 100/2 की 0.6580हैक भूमि रहेगी, प्रतिवादी संख्या 2 रामेश्वरलाल के पास रोही मोजा कानसर के खसरा न0 100/3 की 0.6580हैक भूमि रहेगी,प्रतिवादी संख्या 3 रामचन्द्र के पास रोही मोजा कानसर के खसरा न0 100/4 की 0.6580हैक भूमि रहेगी, प्रतिवादी संख्या 4 रामस्वरूप के पास रोही मोजा कानसर के खसरा न0 100/5 की 0.6580हैक भूमि रहेगी ,प्रतिवादी संख्या 5 सत्यनारायण के पास रोही मौजा कानसर के खसरा न0 100/6 की 0.675हैक भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजलास प्रार्थना पत्र के सलग्न 100/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28/12/18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

Vijay
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official